

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

सहायक अभियन्ता (O&M) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.

ब ना म्

सुमन वगैरा

एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या-1129/2019

आदेश दिनांक

20.12.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्रीमती अनुराधा उपाध्याय, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण

योग्य अधिवक्ता अपीलाधीगण को सुना गया। आक्षेपित निर्णय व पंचाट का अवलोकन किया गया।

प्रत्यर्थीगण को दिनांक 22.01.2020 के नोटिस जारी किए जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करें।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे।

अपीलार्थीगण द्वारा यदि एक माह की अवधि में जिला न्यायाधीश, सीकर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 14.08.2019 की सम्पूर्ण राशि अधीनस्थ न्यायालय में जमा करा दी जाती है तो आगामी आदेश तक आक्षेपित निर्णय व डिक्री की क्रियान्विति/निष्पादन की कार्यवाही स्थगित रहेगी।

अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्तानुसार राशि जमा करा दिए जाने पर दावेदारान्-प्रत्यर्थीगण उक्त राशि में से 50% राशि आहरित कर सकेंगे बशर्ते कि वे अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि की इस आशय की सशपथ Undertaking प्रस्तुत कर दें कि यदि इस अपील का निर्णय उनके विरुद्ध हो जाता है तो वे आहरित की गई राशि व उस पर आहरण की तिथि से अदायगी तिथि तक 6% वार्षिक दर से ब्याज, अपीलार्थीगण को लौटा देंगे। शेष 50% राशि किसी राष्ट्रीकृत बैंक में दो वर्ष की अवधि के लिए FDR's के रूप में निवेश की जावे एवं आवश्यकता होने पर उनका समय समय पर नवीनीकरण करवाया जावे।

(न्या. प्रकाश गुप्ता)